**भारत सरकार**

**खाद्य प्रसंस्‍करण उद्योग मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 238**

**दिनांक 06 दिसम्बर, 2013 को उत्‍तर देने के लिए**

**देश में शीतागार की आवश्यकता**

**238. डा. आर.लक्ष्मणन:**

**क्‍या खाद्य प्रसंस्‍करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

**(क)** क्या यह सच है कि देश में 61.13 मिलियन टन की शीतागार संबंधी आवश्यकता है;

**(ख)** क्या यह भी सच है कि इस समय देश में शीतागार क्षमता मात्र 29 मिलियन टन है; और

**(ग)** यदि हां, तो इतने भारी अंतर के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस कमी को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

**उत्तर**

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री (डा. चरण दास महंत)**

**(क) और (ख)** राष्ट्रीय स्पॉट एक्सचेंज लि. (एनएसईएल) द्वारा दिसम्बर, 2010 में किए गए अध्ययन के अनुसार देश में 61.13 मिलियन टन शीतागार की आवश्यकता का आंकलन किया गया था तथा कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग के आंकड़ों के अनुसार देश में 30.10.2012 तक 30.38 मिलियन मिट्रिक टन की शीतागार क्षमता उपलब्ध थी, इस प्रकार 30.75 मिलियन मिट्रिक टन का अंतराल मौजूद था ।

**(ग)** शीतागार/शीत श्रृंखला अवसंरचना एक पूँजी प्रधान उद्योग है । इसलिए, इस क्षेत्र में पर्याप्त निवेश नहीं हो सका है । देश में एकीकृत शीत श्रृंखला एवं परिरक्षण अवसंरचना सुविधाओं के सृजन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय एकीकृत शीत श्रृंखला, मूल्यवृद्धि एवं परिरक्षण अवसंरचना स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है । स्कीम के अंतर्गत सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र एवं मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की कुल लागत का 50% की दर से तथा दुर्गम क्षेत्रों जैसे कि पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में 75% की दर से परंतु अधिकतम 10 करोड़ रुपए प्रति परियोजना की अनुदान-सहायता उपलब्ध कराई जाती है ।

 इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम), राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी), कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला राष्ट्रीय सहकारिता विकास परिषद (एनसीडीसी), कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के अंतर्गत कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपीडा) तथा राज्य सरकारें भी अपनी संबंधित स्कीमें के अंतर्गत शीतागारों की स्थापना के लिए सहायता उपलब्ध करा रही है । इस क्षेत्र को उन्नत बनाने के लिए सरकार द्वारा दिए जा रहे अन्य बहुत से प्रोत्साहनों का ब्यौरा **संलग्नक-I** पर दिया गया है ।

\*\*\*\*\*

**संलग्‍नक-I**

**देश में शीतागार की आवश्यकता के बारे में दिनांक 06 दिसम्बर, 2013 को राज्‍य सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्‍न सं. 238 के भाग (ग) के उत्‍तर में उल्लिखित विवरण ।**

**शीत श्रृंखला क्षेत्र को सरकार द्वारा उपलब्‍ध कराए गए अन्‍य विभिन्‍न प्रोत्‍साहनों का ब्‍यौराः**

1. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35-एडी के अंतर्गत निवेश पर हुए व्‍यय के लिए कटौती की अनुमति दी जाती है यदि यह निवेश (i) शीत श्रृंखला सुविधा की स्‍थापना एवं प्रचालन; तथा (ii) कृषि उपज के भंडारण हेतु मालगोदाम सुविधा की स्‍थापना और प्रचालन के प्रयोजनार्थ ही किया गया हो। यह कटौती 150% तक अनुमत्‍य है बशर्ते कि करदाता ने अपना व्‍यापार 1-4-2012 को अथवा उसके बाद शुरू किया हो।

2. सरकार ने शीतागार, शीतकक्ष(खेत स्‍तर पर पूर्व शीतलन सुविधा सहित) या कृषि, मधुमक्खी पालन, बागवानी, डेयरी, पोल्‍ट्री, समुद्री एवं जलीय उत्‍पाद तथा मांस के परिरक्षण, भंडारण या प्रसंस्‍करण के लिए औद्योगिक परियोजनाओं को परियोजना आयात के लाभ दिए हैं। परिणामत: खाद्य प्रसंस्‍करण से संबंधित सभी वस्‍तुएं जो परियोजना के भाग के रूप में आयात की गई हों चाहे उनका टैरिफ वर्गीकरण कुछ भी क्‍यों न हो, 5% के मौलिक सीमा शुल्‍क की रियायती दर पर समान मूल्‍यांकन की पात्र होंगी।

3. टैरिफ शीर्ष; अध्‍याय 84 के अंतर्गत कृषि, मधुमक्खी पालन, बागवानी, डेयरी, पोल्‍ट्री, समुद्री एवं ज‍लीय उत्‍पाद तथा मांस के परिरक्षण, भंडारण, परिवहन या प्रसंस्‍करण के लिए शीतागार, शीतकक्ष अथवा रे‍फ्रिजरेटिड वाहन की अधिस्‍थापना के लिए प्रयोग की गई सभी प्रकार की रेफ्रिजरेशन मशीनरी और उसके पुर्जों पर उत्‍पाद शुल्‍क नहीं लिया जाता है।

4. कृषि उपज के लिए शीतागारों सहित फसलोत्तर भंडारण अवसंरचना से संबंधित निर्माण, उत्‍थापन, प्रचालन अथवा अधिष्‍ठापन से संबंधित मूल कार्यों के लिए सेवा कर नहीं लिया जाता है ।

5. आधुनिक भंडारण क्षमता के सृजन में पूंजी‍ निवेश को वित्त मंत्रालय की अंतर वित्त-पोषण व्‍यवहार्यता स्‍कीम के लिए पात्र माना गया है । शीत श्रृंखला तथा फसलोत्तर भंडारण को अवसंरचना उपक्षेत्र के रूप में स्‍वीकार किया गया है ।

\*\*\*\*\*